(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1992

सा.का.नि. 32[illegible]:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में प्लाज्मा मशीन आपरेटर (समूह "ग" पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (प्लाज्मा मशीन आपरेटर) भर्ती नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—प्लाज्मा मशीन आपरेटर के पद की संख्या वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
प्लाज्मा मशीन आपरेटर	*3 (तीन) 1992 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150-द.रो.-25-1500 रु.	चयन	25 वर्ष (i) टिप्पण : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) (ii) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के	नहीं

7
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता । (ख) कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण का ज्ञान । वांछनीय : डाकमा मशीन का 2 वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1:— अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	समूह "घ" के ऐसे कर्मचारीवृन्द में से प्रोन्नति जो मैट्रिकुलेट हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और जो 30 शब्द प्रतिमिनट की गति के साथ अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखते हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. किसी विभाग का आचार्य —अध्यक्ष 2. किसी विभाग का सह-आचार्य —सदस्य 3. किसी विभाग का सहायक आचार्य —सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए. 12018/48/89-प्रार. भ्रार. (एस.ई. पु. जा.)]
बी.बी. शर्मा, डेस्क अधिकारी

(Deptt. of Health)

New Delhi, the 5th August, 1992

G.S.R. 382.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Bradma Machine Operator (Group 'C' post) in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Bradma Machine Operators) Recruitment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nember of post, classification and scale of pay.—The number of post of Bradma Machine Operators, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification:—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,.

shall be eligible for appointment to the said person.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Bradma Machine Operator	3(three*) 1992. *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.	Selection	25 years. Note :— (i) Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance from. with Instructions or orders issued by the Central Government from time to time; (ii) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal	No

1	2	3	4	5	6	7
					Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). In respect of post, the appointment to which is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment of by deputation/transfer and percentage of vacancy to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : (a) Matriculation of equivalent qualification from a recognised board or institution. (b) Knowledge of English typing with minimum speed of 30 wpm. Desirable : Experience of 2 years in Bradma Macnine. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Sheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinon that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age—No Educational qualification—Yes.	2 years	By promotion failing which by Direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion from Group 'D' staff who are Matriculate with three years regular service in the grade and having knowledge of English typing with speed of 30 wpm	Departmental Promotion Committee consist of : 1. Professor of any Department —Chairman 2. Associate Professor of any Department —Member 3. Assistant Professor of any Department —Member 4. Administrative Officer —Member	Not applicable

[No. A—12018/48/89 RR(ME-UG)]
B.B. SHARMA, Desk Officer.